

**छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(नियम शाखा)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
//अधिसूचना//**

नवा रायपुर, दिनांक 14-09-2026

क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3, दिनांक 09.09.2026 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-02 के सरल क्रमांक-1 में अंकित पद "स्टेनोग्राफर ग्रेड-3" के पश्चात्, "/उप निरीक्षक-अ (शीघ्रलेखक) (सामान्य शाखा/गुप्तवार्ता शाखा संवर्ग)" जोड़ा जाये।
- समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-02 के सरल क्रमांक-6 में अंकित पद "पंजीयन लिपिक" के पश्चात्, "/सहायक उपनिरीक्षक-अ (सामान्य शाखा/अपराध अनुसंधान शाखा/ गुप्तवार्ता शाखा/जिला-इकाई संवर्ग)" जोड़ा जाये।
- समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-03 के सरल क्रमांक-71 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

72.	सहायक लोक अभियोजक (खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक उपाधि।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।
-----	--	--	--

- समूह-3, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी (शैक्षिक सेवा) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-01 के सरल क्रमांक-3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

4.	शारीरिक शिक्षा (व्यायाम) प्रशिक्षक (जेल विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पी.टी.एस. का प्रमाण पत्र/पत्रोपाधि अथवा शारीरिक शिक्षा में पत्रोपाधि तथा 03 वर्ष का अनुभव।	अनिवार्य (कॉमन) परीक्षा आयोजित की जाएगी।
----	--	--	---

5. समूह-4, तृतीय श्रेणी (वर्दीधारी सेवा) शीर्षक अंतर्गत सरल क्रमांक-1 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

1.	सूबेदार, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक (विशेष शाखा), प्लाटून कमांडर	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। (2) विभागीय भर्ती नियम अनुसार शारीरिक व अन्य अर्हताएं।	अनिवार्य (कॉमन) पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित होगी।
----	---	--	--

6. समूह-4, तृतीय श्रेणी (वर्दीधारी सेवा) शीर्षक अंतर्गत सरल क्रमांक-5 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

6.	उप निरीक्षक (रेडियो)	(1) शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रिकल टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम। (2) विभागीय भर्ती नियम अनुसार शारीरिक व अन्य अर्हताएं।	अनिवार्य (कॉमन) पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित होगी।
7.	उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह)	(1) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। (2) विभागीय भर्ती नियम अनुसार शारीरिक व अन्य अर्हताएं।	
8.	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	(1) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। (2) विभागीय भर्ती नियम अनुसार शारीरिक व अन्य अर्हताएं।	
9.	उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	(1) शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लिकेशन (बीसीए)/बीएससी (कम्प्यूटर) में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष।	

		(2) विभागीय भर्ती नियम अनुसार शारीरिक व अन्य अर्हताएं।	
10.	उप निरीक्षक (सायबर क्राईम)	(1) शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लिकेशन (बीसीए)/बीएससी (कम्प्यूटर) में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष। (2) विभागीय भर्ती नियम अनुसार शारीरिक व अन्य अर्हताएं।	
11.	आरक्षक (जीडी) (जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग/ विशेष शाखा संवर्ग/दूरसंचार संवर्ग)	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) विभागीय भर्ती नियम अनुसार शारीरिक एवं अन्य अर्हताएं।	
12.	आरक्षक (अ) (चतुर्थ श्रेणी) (सामान्य शाखा/ अपराध अनुसंधान विभाग, गुप्तवार्ता/ जिला-इकाई संवर्ग)	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) विभागीय भर्ती नियम अनुसार शारीरिक एवं अन्य अर्हताएं।	

7. समूह-5, तृतीय श्रेणी (विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवाएं) शीर्षक अंतर्गत सरल क्रमांक-22 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

23.	औषधि निरीक्षक (खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस में डिग्री अथवा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ मेडिसिन में डिग्री उत्तीर्ण।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग- ब संकाय विशिष्ट।
24.	खाद्य सुरक्षा अधिकारी (खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी/डेयरी प्रौद्योगिकी/जैव प्रौद्योगिकी/तेल प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/पशु चिकित्सा विज्ञान/जैव रसायन विज्ञान/सूक्ष्म विज्ञान/रसायन विज्ञान /मेडिसिन में स्नातक/स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री, अथवा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य/मान्यता प्राप्त अर्हता।	

25.	नमुना सहायक (खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से विज्ञान संकाय (रसायन विज्ञान सहित) में हायर सेकेंडरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।	
26.	असिस्टेंट पब्लिक एनालिस्ट (खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान/जैव रसायन विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान/ डेयरी/तेल प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान में उपाधि।	
27.	जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.फार्मेसी की उपाधि।	
28.	पुरुष परिचारक (मेलनर्स) (जेल विभाग)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	
29.	एक्स-रे मशीन आपरेटर (जेल विभाग)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिक विषय में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) रेडियोग्राफर/एक्स-रे टेक्निशियन (ऑपरेटर का निर्धारित 06 माह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।	
30.	परिचारिका (नर्स) (जेल विभाग)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सिंग प्रशिक्षण या पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण।	

8. समूह-6, तृतीय श्रेणी (हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूल स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-01 के सरल क्रमांक 56 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

57.	आरक्षक (आर्म्स ट्रेड) (छ.ग. स. बल)	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी भी मान्यता प्राप्त आई.टी.आई./संस्था से ब्लैकस्मिथ/फिटर/टर्नर/मशीनिष्ट अथवा वेल्डर ट्रेड में डिप्लोमा। (3) विभागीय भर्ती नियम अनुसार शारीरिक एवं अन्य अर्हताएं।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।
-----	---------------------------------------	--	--

58.	प्रेस फोरमेन, बढई प्रशिक्षक, बुनाई प्रशिक्षक, सिलाई प्रशिक्षक (जेल विभाग)	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	
59.	लोहार प्रशिक्षक, प्रेस कम्पोजिटर, प्रेस मशीन मेन, ऑफसेट इन्स्ट्रक्टर, प्लेट मेकिंग मेन, नाई (पुरुष) (जेल विभाग)	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण। (2) विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	

9. समूह-6, तृतीय श्रेणी (हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूल स्तर) शीर्षक अंतर्गत उप समूह-02 के सरल क्रमांक-11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

12.	मैट्रन (जेल विभाग)	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित होगी।
-----	-----------------------	---	--

10. समूह-7, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (हाई स्कूल स्तर) शीर्षक अंतर्गत सरल क्रमांक 17 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया सरल क्रमांक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

18.	विसरा कटर, बोन कटर (राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला)	मान्यता प्राप्त मण्डल से हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण।	अनिवार्य (कॉमन) पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित होगी।
-----	---	---	--

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,**

Digitally signed by
SHIV KUMAR SINGH
Date: 14-09-2026
11:43:33

(एस.के. सिंह)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3

नवा रायपुर, दिनांक 14-09-2026

प्रतिलिपि:-

1. मा. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़, लोक भवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, नवा रायपुर
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
6. महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
7. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर
10. सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर
11. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
12. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतियोगिता आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/लोक आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़
13. परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर
14. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर (छ.ग.)
15. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
16. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
18. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
19. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
21. सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट <https://gad.cg.gov.in> में अपलोड हेतु।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही/-

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग